दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 26-06-2025

# युवक का आरोप- युवती को पिता ने अवैध रूप से रखा, याचिका खारिज

## युवती की कल है शादी, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को हस्तक्षेप से इनकार करते हुए खारिज कर दिया है। युवक ने आरोप लगाया था कि उसकी प्रेमिका को उसके पिता ने अवैध रूप से घर में बंद कर रखा है और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी तय कर दी है। हाई कोर्ट ने याचिका में देरी और युवती के पिता को उसका प्राकृतिक अभिभावक मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

सरगुजा निवासी मुस्लिम युवक ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। बताया था कि वह और युवती पिछले पांच वर्षों से रिलेशनशिप में हैं और विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चाहते हैं। यह भी कहा गया था कि युवती के पिता ने जबरन उसकी शादी 27 जून को तय कर दी है। उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। युवक ने हाई कोर्ट में युवती क लिखा पत्र और वाट्सएप मैसेज पेश किए। बताया कि वह उससे ही शादी करना चाहती है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद कहा कि युवती का पिता उसका प्राकृतिक अभिभावक है। याचिका समय रहते दाखिल नहीं की गई। शादी की तारीख बेहद नजदीक होने के कारण अब हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की छूट दी गई है।